शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–यू0ओ0–57/26–3–2011–151 एचआरसी/2005

प्रेषक,

बी0एल0मीणा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

श्री अनिल कुमार राय,
सचिव प्रथम, (एचओसी),भारत का उच्चायोग,
हाउस नं0–2, रोड नं0–142,
गुलशान–1, ढाका–1212, बांग्लादेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2011

विषयः– जिला कारागार, गाजियाबाद के विचाराधीन बन्दी राजू उर्फ चांद पुत्र श्री सुल्तान फिरोजी की दिनांक 06–09–2005 को हुई मृत्यु के प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के केस/पत्र संख्या–18476/24/2005– 2006–सीडी/एम –3, दिनांक 05–03–2010 की संस्तुति के अनुसार मृतक बंदी के आश्रितों (उत्तराधिकारियों) को रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) की मुआवजा की राशि का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के केस/पत्र संख्या– 18476/24/2005–2006–सीडी/एम–3, दिनांक 05–03–2010 की संस्तुति तथा आपके पत्र दिनांक 11–04–2011(प्रतिलिपियां संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जिला कारागार, गाजियाबाद के विचाराधीन बंदी राजू उर्फ चांद पुत्र श्री सुल्तान फिरोजी की दिनांक 06–09–2005 को हुई मृत्यु के प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति दिनांक 01–06–2010 के अनुपालन में मृतक बंदी के उत्तराधिकारी/आश्रितगण को मुआवजा के रूप में रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) की भारतीय मुद्रा के समतुल्य बांग्लादेशीय मुद्रा की राशि उत्तर प्रदेश सरकार के खाते को डेबिट करके भुगतान करने के लिए भारत के उच्चायोग, ढाका को अधिकृत करते हैं।

2– प्राधिकृत/स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का भुगतान सम्बधित को तत्काल कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,महालेखाकार ,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

3– उक्त प्रयोजन पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –02–समाज कल्याण–आयोजनागत–200–अन्य कार्यक्रम–10–मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–1405/दस–2011, दिनांक 04 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0 एल0 मीणा)
सचिव

.....2

rk go

संख्या–यू0ओ0–57(1)/26–3–2011 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –02–समाज कल्याण–आयोजनागत–200–अन्य कार्यक्रम–10–मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रिन्सिपल चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एकाउन्ट्स, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक/वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को नियमानुसार बुक एड्जेस्टमेंट आदि की कार्यवाही हेतु।
6. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, गाजियाबाद।
7. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
8. कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–3/4 एवं गृह(मानवाधिकार) अनुभाग–1
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
10. राज्य योजना आयोग–1/2
11. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
12. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

rk go